बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र06-रा0का0-02/2009 152 /खाद्य, पटना/दिनांक- 10.1.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- **राशन कार्ड वितरण के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी सर्वेक्षित परिवारों के बीच विभिन्न श्रेणी के राशन कार्ड के वितरण हेतु विभागीय पत्र संख्या- 5543 दिनांक- 15.12.2010 द्वारा निदेश दिया गया था साथ हीं दिनांक- 31.01.2010 तक वितरण पूर्ण कर लेने का निदेश भी दिया गया था । जिन जिलों में पूर्ण वितरण नहीं हो सका था उन जिलों को दिनांक- 10.03.2010 तक पूर्ण करने हेतु अवधि भी विस्तारित की गयी थी ।

सभी जिलों से लगभग 90% या इससे अधिक भी राशन कार्ड वितरण का प्रतिवेदन विभाग को भेजे गये हैं, परन्तु क्षेत्र भ्रमण के दौरान एवं अन्य माध्यमों से भी ऐसी शिकायतें मिल रही है कि अभी भी सभी सर्वेक्षित परिवारों को वास्तविक्र रूप से राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है । विगत विधान सभा सत्र के दौरान भी माननीय सदस्यों द्वारा इस पर चिन्ता व्यक्त की गई है ।

अतः अनुरोध है कि वैसे सर्वेक्षित परिवार जिन्हें अबतक राशन कार्ड नहीं मिल पाया हो उनके बीच अभियान चलाकर राशन कार्ड अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय एवं यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता अथवा मुखिया/वार्ड सदस्य के पास अवितरित राशन कार्ड नहीं रहने पाये । यह भी अनुरोध है कि इस माह के अन्त तक सर्वेक्षित सभी परिवारों के बीच अंतिम रूप से राशन कार्ड वितरण का प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय ।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,
7/01/2011
प्रधान सचिव ।